निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण 1939 (श0)

(सं0 पटना 1094) पटना, बुधवार, 22 नवम्बर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

शुद्धि–पत्र

22 नवम्बर 2017

एस०ओ० 300, दिनांक 22 नवम्बर 2017— बिहार गजट (असाधारण अंक) में संख्या 922 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य–कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 203, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017, की कंडिका (iii) में, –

''यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित अवधि के भीतर, उक्त उपनियमय (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ब्याज सहित देय कर का संदाय करने में असफल रहता है तो परिवचन पत्र विधिमान्य नहीं रहेगा और यह ऐसे कर और ब्याज का संदाय के पश्चात् फिर से विधिमान्य होगा।''

के स्थान पर–

''(iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट देय कर और ब्याज का भुगतान उक्त उपनियम के उपवाक्य (क) अथवा (ख) में उल्लिखित अवधि में जमा नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गयी है वह वापस ले ली गई है और यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह बहाल हो जाएगी।''

पढ़ें।

[(सं0सं0–ब्रिकी–कर / जी0एस0टी0 / विविध–21 / 2017 (खंड–1)–4193)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

22 नवम्बर 2017

एस०ओ० 301, एस०ओ० 300, दिनांक 22 नवम्बर 2017 का अंगेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0–ब्रिकी–कर/जी0एस0टी0/विविध–21/2017 (खंड–1)–4193)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 22nd November 2017

S.O. 300 dated the 22nd November 2017— In the S.O. 203, dated 10th October, 2017 published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, Commercial Taxes Department, which was published vide no. 922 dated-10th October, 2017 in the Gazette of Bihar, Extraordinary in column (iii) –

for,

"the letter of undertaking shall cease to be valid if the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A State Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) or clause (b) of the said sub-rule, and it shall resume being valid after such tax and interest is paid."

read,-

"(iii) where the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A State Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) or clause (b) of the said sub-rule, the facility of export without payment of integrated tax will be deemed to have been withdrawn and if the amount mentioned in the said sub-rule is paid, the facility of export without payment of integrated tax shall be restored."

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-1)—4193)]

By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1094–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in